it may not be completed according to the original schedule.

(d) The gap between the production and demand will continue to be made good by imports to the extent that foreign exchange is available for the purpose.

Andaman Special Pay

1281. **Shri A. K. Gopalan:**
Shri Umanath:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a special pay known as "Andaman Special Pay" applicable to NGOs which is 33 1/3 per cent of the basic pay is in existence in the Andamans;

(b) if so, whether it is a fact that this special pay is only applicable to those going to Andamans on deputation and those who are recruited from the Mainland; and

(c) if so, why the locally recruited are denied this Special Pay?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): (a) to (c). Persons recruited or deputed from the mainland for service in the Islands are granted Andaman Special Pay at the following rates:—

(1) 33 1/3 per cent of basic pay subject to a maximum of Rs. 300 per month if posted to South Andamans;

(2) 40 per cent of basic pay subject to a maximum of Rs. 350 per month if posted to Middle or North Andamans; and

(3) 45 per cent of basic pay subject to a maximum of Rs. 350 per month if posted in Nicobars.

Persons recruited locally *i.e* in the Andaman and Nicobar Islands are not entitled to any special pay if they are posted to South Andamans. However, if a person recruited in South Andamans is posted to Middle/North Andamans or Nicobars, he is allowed special pay at the following rates:—

(1) 10 per cent of basic pay subject to a minimum of Rs. 10 per month if posted to North/Middle Andamans;

(2) 15 per cent of basic pay subject to a minimum of Rs. 15 per month if posted to Nicobars.

Persons who, of their own volition, go to the Islands in search of employment, have to be treated at par with the local residents of the Islands and so get the same terms and conditions of service. Their case differs from that of the persons sent on deputation from the mainland or recruited in the mainland for service in the Administration.

Scavenging Conditions Enquiry Committee

1282. **Shri S. B. Das:**
Shri Subodh Hansda:
Shri Basumatari:
Shri S. C. Samanta:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the comments of the State Governments have been received by the Central Government on the report of the Scavenging Conditions Enquiry Committee;

(b) if so, what are their comments; and

(c) whether these will be laid on the Table?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shrimati Chandrasekhar): (a) Copies of the report of the Scavenging Conditions Enquiry Committee were forwarded to all State Governments/Union Territory Administrations etc., for their consideration and implementation. They were not specifically requested to offer their comments, and any questions relating to the recommendations of the Committee were left to

be dealt with, as they arose, by correspondence between the State Government concerned and the Central Government.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

पश्चिम जर्मनी द्वारा भेंट किया याग मुद्रणालय

१२८३. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री ८ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम जर्मनी की सरकार से जो एक आधुनिकतम मुद्रणालय भेंट में मिला है उस को कहां खोला जा रहा है;

(ख) मुद्रणालय का संचालन किस की देखरेख में रहेगा; और कार्य विधि सिखाने के लिये जो जर्मनी के विशेषज्ञों की व्यवस्था की गई है वह क्या है;

(ग) जर्मनी के विशेषज्ञ कब आये थे और कब तक रहेंगे और इनके काम की शर्तें क्या हैं; और

(घ) जो मुद्रणालय भेंट में मिला है उस का मूल्य क्या है और इसकी क्या-क्या विशेषतायें हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) मैसूर।

(ख) मुद्रणालय भारत सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेगा। पश्चिम जर्मन सरकार से हुए समझौते के अंश के रूप में आरम्भ में भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रेस के साथ जर्मन विशेषज्ञों की सेवाएं भी उपलब्ध की जायेंगी। फिलहाल, इसके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) दो जर्मन विशेषज्ञ २८ फरवरी, १९६२ को भारत में आये थे। उन में से एक २० मार्च को और दूसरा २९ मार्च, १९६२ को वापस चले गये। ये दोनों विशेषज्ञ भारत सरकार के अतिथि रहे और उन का दूसरा सारा व्यय पश्चिम जर्मन सरकार ने उठाया।

(घ) मुद्रणालय का मूल्य लगभग दस लाख मार्क होगा। उपलब्ध आफसेट छपाई की मशीनों में यह नवीनतम मशीन है।

रुपये का नया सिक्का

१२८४. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात में कहां तक तथ्य है कि रिजर्व बैंक ने जो एक रुपये का नया सिक्का जारी किया है उस में टकसाली सिक्के की सफाई नहीं है;

(ख) यह सिक्का अभी तक चालू सिक्के की तुलना में घटिया दिखाई देता है इसका क्या कारण है;

(ग) क्या उन को यह मालूम है कि इस नये सिक्के के किनारे साफ नहीं हैं और जो मुहर अंकित की गई है वह सिक्के के दोनों ओर उतनी खूबसूरत नहीं है; और

(घ) क्या यह नये सिक्के इसी प्रकार से चलते रहेंगे अथवा इन में सुधार होगा और कब ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). हाल में जारी किये गये दशमिक रुपयों (सिक्कों) की किस्म के बारे में न तो भारत सरकार को और न रिजर्व बैंक को ही कोई शिकायत मिली है। हो सकता है एकाध सिक्के घटिया किस्म